defreeze NTPC's bank accounts

■ Also tells state to withdraw notice to cancel registration of plant

Indu Bhan
New Delhi, Feb 8

THE Supreme Court on Monday asked the Madhya Pradesh government to defreeze NTPC's bank accounts and withdraw its notice to cancel registration of its 4,760-megawatt (MW) Vindhyachal Super Thermal Power Plant in the state, provided the PSU deposited ₹40 crore towards entry tax with the state high court.

The state tax department has alleged that NTPC is liable to pay entry tax of ₹191 crore for the assessment years 2007-2013.

A bench headed by justice Dipak Misra also asked the Madhya Pradesh High Court to decide the matter expeditiously within three months. However, it clarified that it has not expressed any opinion on the merits of the case.

While NTPC was represented by solicitor-general Ranjit Kumar, senior counsel Arvind Varma appeared for the department.

Kumar argued that the PSU is entitled to exemption in entry tax and the department cannot ask it to pay enhanced entry tax at the rate of 5%. He said that NTPC is liable to pay the entry tax at 2%.

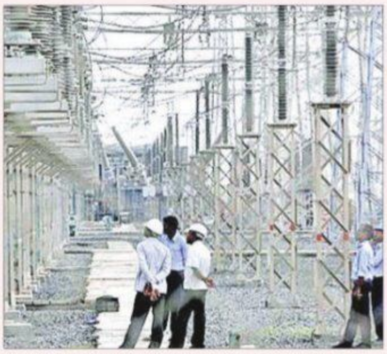

The state tax department has alleged that NTPC is liable to pay entry tax of ₹191 crore for the assessment years 2007-2013

Besides, the government's decision to attach its bank accounts and its notice for cancellation of the registration of its thermal power plant was "illegal and arbitrary".

The state government had issued various reassessment orders on May 2014 and January 2015, for the assessment years 2007-2013, for the levy of entry tax at the enhanced rate of 5%, rather than the exempted rate of 2%. This was challenged by the PSU in the high court, which initially in March 2015 restrained the state tax authorities from taking any coercive steps against NTPC, but later vacated its order.

Stating that the generation of electricity by converting latent the thermal energy of coal into electrical energy is also included in the definition of manufacture, NTPC said that the high court had erred in holding that coal is not a raw material used in the generation of electricity but is only a fuel used in the process.

"Electrical energy being goods and coal being essential for producing electrical energy in thermal power plants, it cannot be said that coal is not a raw material for generating electricity or that electrical energy is not goods which can be manufactured," the appeal stated, adding that even if the electrical energy does not show any attribute of coal, this does not prevent coal from being an essential raw material to produce electrical energy.

The PSU cited the apex court's judgement in the case, Collector of Central Excise vs Balarpur Industries, to prove its point.

The SC had earlier held that if an ingredient does not manifest itself in the end product and is burnt up and consumed, it does not cease to be a raw material or an ingredient for the end product. "Though coal is burnt up and consumed (except for ash and cinders) while producing electrical energy, it is so essential to the manufacture of electrical energy that it would constitute a raw material for the said process," it said.

New Delhi, Feb 8: India and the US are close to solving a three-year-old WTO dispute over domestic content requirement in India's solar power programme.

A top government source said that India and the US are talking over this issue and leaders from both the countries are handling it in a "mature way".

"There seems to be a willingness from both the sides that this issue should be resolved in a way that it leads to strengthening of relations between the two countries," the source said.

The US had alleged that forced localisation requirements restricted its exports to Indian markets

WTO's dispute settlement panel last year ruled that India's domestic content requirements under its solar power programme were inconsistent with the international norms. India has appealed the ruling.

"WTO is expected to come out with its ruling early this week on the appeal filed by India, but it is likely that this will be delayed by the international body as both India and the US are trying to resolve this issue through talks," another official said, conforming the developments.

The US had dragged India to WTO in 2014 for its solar mission plan alleging that the programme discriminates against the US solar equipment players by requiring energy producers here to use locally manufactured cells and by offering subsidies to those who use domestic equipment.

It also alleged that forced localisation requirements restricted US exports to Indian markets. If this issue is resolved, it will work as a catalyst in cementing India-US relations and will also revolutionise the renewable energy sector in both the countries as there are immense opportunities for businesses both the sides to gain from the solar programme.

PTI

Iran seeks reactivation of Indian bank accounts

New Delhi, Feb 8: Freed of international sanctions, Iran has asked India to reactivate its accounts with Indian banks and allow Iranian banks to open offices here.

Keen to quickly normalise banking and commercial relations with the world, Tehran also wants UCO Bank to open a representative office in Iran, official sources said. Tehran has already opened an account with IDBI Bank.

Iran's Central Bank last month announced that the SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) sanction on the country's 12 banks was lifted and they are being linked to SWIFT. Since March 2012, Iran's banking system had been cut off from SWIFT in a bid to intensify the sanctions on Tehran over its nuclear programme.

The Central Bank of Iran's vice-governor Gholamali Kamyab has conveyed to Indian authorities that Bank Pasargad and Parsian Bank were keen to open representative offices in India while Saman Bank was interested in opening a subsidiary, they said.

State Bank of India has accounts of 11 Iranian banks including Central Bank of Iran.

PTI

New Delhi, Feb 8: (see above)

‘अपनी मर्जी से सत्र नहीं बुला सकते राजखोवा’

पेज 1 का बाकी

इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

अदालत ने यह टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी की दलीलों को सुनने के दौरान की। वे कांग्रेस के कुछ बागी विधायकों की तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने अपने रुख को दोहराया कि राज्यपाल के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना अपनी मर्जी से विधानसभा का सत्र बुलाने पर रोक नहीं है।

द्विवेदी ने कहा, सिर्फ एक ही पूर्व शर्त है कि सदन में कुछ कार्य होना चाहिए और राज्यपाल के विधानसभा सत्र बुलाने पर रोक नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि एक बार सदन का सत्र शुरू हो जाता है तो राज्यपाल की भूमिका इस बात का फैसला करने की नहीं रह जाती कि क्या काम होना चाहिए क्योंकि यह तब विधानसभा का कार्य हो जाता है। उन्होंने कहा, सामान्य नियम है कि संवैधानिक शक्तियों की व्याख्या उदार तरीके से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल के पास विशेषाधिकार है।

अदालत संविधान के तहत राज्यपाल की कुछ शक्तियों को लेकर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अदालत मंगलवार को भी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

इससे पहले, न्यायालय ने विधानसभा के सत्र की तारीख जनवरी से पहले पिछले साल दिसंबर में करने के राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाए थे। न्यायालय जानना चाहता था कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सदन की बैठक होने पर क्या फर्क पड़ता।

संविधान पीठ ने जानना चाहा था, 16 दिसंबर के बजाय पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 14 जनवरी से ही विधानसभा की बैठक होने से क्या अंतर पड़ता। पीठ ने यह सवाल उस वक्त किया जब द्विवेदी ने कहा था कि तत्कालीन अध्यक्ष नबम रेबिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे और संविधान के प्रावधान के तहत राज्यपाल को इसकी बैठक पहले बुलाने और अध्यक्ष को हटाने का विषय कार्यसूची मे पहले स्थान पर रखने का निर्देश देने का अधिकार है।

साथ ही सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री नबम तुकी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के कार्यालयों से जब्त किए गए दस्तावेजों की सूची उपलब्ध कराई जाए। इस बीच, अटार्नी जनरल ने न्यायालय से कहा कि अधिकांश दस्तावेज ‘अप्रासंगिक और असंबद्ध’ हो सकते हैं जो लाखों की संख्या में हैं।

संविधान पीठ ने कहा, आप (केंद्र) यह नहीं कह सकते कि आपके द्वारा जब्त दस्तावेज उनसे (तुकी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियो) संबंधित नहीं हैं। आप जब्त किए गए सभी दस्तावेजों की सूची दीजिए और उन्हें निर्णय करने दीजिये कि उन्हें क्या चाहिए। और कौन से नहीं चाहिए। दस्तावेजों की आवश्यकता के बारे में तभी पता चल सकेगा जब आप पूरी सूची उपलब्ध कराएंगे।

दिव्यांश की मौत की जांच सीबीआइ को

पेज 1 का बाकी

को सुलझाने के बाद पूरी जानकारी बच्चे के पिता को दी जाएगी। उन्हें यह बात बता दी गई है।

नई दिल्ली के वसंत कुंज स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले छह साल के दिव्यांश की 30 जनवरी को स्कूल परिसर में बने सेप्टिक टैंक में गिरकर मौत हो गई थी। इसकी जांच वसंत कुंज की एसडीएम ने की थी। उनकी जांच रिपोर्ट में स्कूल की खामियों की ओर इशारा किया गया था। रिपोर्ट में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई थी। दिव्यांश के परिवार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) से कराने की मांग की थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को इसकी सीबीआइ जांच की सिफारिश कर दी। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एसडीएम की जांच रिपोर्ट में स्कूल प्रबंधन के स्तर पर कई खामियां पाई गई हैं। घटना वाले दिन 30 जनवरी को विशेष तौर पर स्कूल खोला गया था, जबकि उस दिन छुट्टी थी। उस दिन एक भी व्यक्ति मेडिकल रूम में चिकित्सकीय सहायता देने के लिए नहीं था। जबकि दिव्यांश को चिकित्सकीय सुविधा देने की उद्घोषणा लगातार की जा रही थी।

स्कूलों में इस तरह की घटनाएं दुबारा न होने पाए इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराने का फैसला किया है। यह जांच एक महीने में पूरी हो जाएगी।

उधर, दिव्यांश के पिता आरके मीणा ने रविवार को इस मामले की जांच में कमियों की ओर इशारा करते हुए दिल्ली पुलिस से 24 सवाल पूछे थे। उनका कहना था कि दिव्यांश गुप्तांगों पर चोट के निशान थे। उनका कहना था कि दिव्यांश जैसा बच्चा सेप्टिक टैंक का भारी ढक्कन कैसे हटा सकता है? अगर वह दुर्घटनावश टैंक में गिरा तो, उसके जूते टैंक के बाहर कैसे पाए गए? लेकिन उनके सवालों पर दिल्ली पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि घटना के बाद आजतक पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए या जांच से जुड़ी जानकारी देने के लिए संपर्क नहीं किया है।

दिव्यांश के पिता ने रविवार को दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार से मिलकर पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्कूल प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है।

दिव्यांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोमवार को आ गई। दिल्ली पुलिस के आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि रिपोर्ट की पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि बच्चे का यौन शोषण नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना और फेफड़ों में पानी भरना बताया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक की जांच और रिपोर्ट को देखने पर कई संदेह खड़े हो रहे हैं, जिन पर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी जिले के पुलिस उपायुक्त प्रेमनाथ इस मामले को देख रहे हैं।

रेलवे की इमारत गिरी, पांच लोगों की मौत

हुबली, 8 फरवरी (भाषा)। पुराने रेलवे पार्सल भवन के ढहने से पांच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

हुबली–धारवाड़ के पुलिस आयुक्त पांडुरंग राणे ने यहां बताया, ‘हमने क्षतिग्रस्त हुए रेलवे पार्सल कार्यालय के पुराने भवने से पांच शवों को बरामद किया है। इसमें चार पुरुष थे और एक महिला।’ यह पूछे जाने पर कि मृतकों में क्या रेलवे के कर्मचारी भी थे, उन्होंने कहा, ‘मृतकों में एक रेलवे कर्मचारी, जीआरबी (ग्रुप बी) कर्मचारी और एक नागरिक हैं।’ उन्होंने बताया कि बचाव कार्य चालू है।

मुसलिम संगठनों ने एक सुर में कहा, आइएस आतंकी समूह

पेज 1 का बाकी

संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के समय दिए गए एक बयान और हाल ही में राजनाथ सिंह के एक वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय मुसलिम नौजवानों का आइएसआइएस से संबंध नहीं है क्योंकि भारतीय मुसलिम समाज ने हमेशा आतंकवाद को खारिज किया है।

इन संगठनों ने कहा, ‘हाल ही में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय मुसलमान देशभक्त हैं और आइएसआइएस हमारे यहां के मुसलिम नौजवानों को रिझाने में नाकाम रहा है। इसी तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के समय की थी। परंतु गणतंत्र दिवस के ठीक पहले आइएसआइएस के संबंध रखने के आरोप में कई लोगों की गिरफ्तारी की गई जिससे यह संदेश गया कि भारतीय मुसलिम नौजवान न सिर्फ आइएसआइएस से जुड़े हैं, बल्कि पूरे देश में हमले की तैयारी कर रहे हैं, जबकि हकीकत इसके पूरी तरह उलट है।’

पाक में रची गई मुंबई हमले की साजिश

पेज 1 का बाकी

लश्कर के आतंकी ने कहा कि ‘दौरा–ए–खास’ के दौरान उसे हथियार चलाने, विस्फोटों व गोला–बारूद के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया। उसने कहा कि उसने खुफिया प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘दौरा–ए–रिबात’ में भी हिस्सा लिया। इसका केंद्र ऐबटाबाद से 40 मील दूर मनसेरा में था। हेडली ने कहा कि वह भारतीय सैनिकों से लड़ने के लिए कश्मीर जाना चाहता था लेकिन उसे बताया गया कि इस काम के लिए वह ‘बहुत उम्रदराज’ है। उसने कहा, ‘लखवी ने मुझसे कहा कि वे मुझे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे।’ पहली बार भारत की अपनी यात्रा के बारे में हेडली ने कहा, ‘पहले दौरे से पूर्व साजिद मीर ने मुझे निर्देश दिया कि मुंबई में जगहों का वीडियो बनाऊं।’ साजिद मीर भी इस मामले में एक आरोपी है।

हेडली ने कहा कि वह 2008 के आतंकी हमले से पहले सात बार मुंबई आया और हमले के बाद एक बार मार्च, 2009 में दिल्ली गया था। हेडली ने कहा कि साल 2006 में भारत में दाखिल होने पर उसने अपना नाम दाऊद गिलानी से बदलकर डेविड हेडली कर लिया था ताकि वह अमेरिकी पहचान पर यात्रा कर सके और कुछ कारोबार स्थापित कर सके।

उसने यहां अदालत से कहा, ‘मैंने फिलाडेल्फिया में पांच फरवरी 2006 को नाम बदलने के लिए आवेदन दिया था। मैंने नए नाम से पासपोर्ट लेने के लिए अपना नाम बदलकर डेविड हेडली रख लिया। मैं नया पासपोर्ट चाहता था ताकि मैं एक अमेरिकी पहचान के साथ भारत में दाखिल हो सकूं।’

हेडली ने कहा, ‘जब मुझे नया पासपोर्ट मिल गया तो मैंने लश्कर ए तैयबा में अपने साथियों को यह बात बताई। इनमें से एक साथी साजिद मीर था। यही वह व्यक्ति था, जिससे मैं संपर्क में था। भारत में आने का मेरा उद्देश्य एक कार्यालय (कारोबार) स्थापित करना था ताकि मैं भारत में रह सकूं। पहली यात्रा से पहले साजिद मीर ने मुझे मुंबई का एक आम वीडियो बनाने के निर्देश दिए थे।’

इस आतंकी ने कहा कि उसने भारतीय दूतावास में व्यापार संबंधी मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए आवेदन किया ताकि भारतीय दूतावास से बार बार वीजा के लिए आवेदन नहीं करना पड़े। उसने कहा, ‘मुंबई में मेरा कार्यालय स्थापित किया गया ताकि मैं भारत में इसकी आड़ ले सकूं।’ उसने कहा कि यह आड़ जरूरी थी कि ताकि उसकी असली पहचान का पता नहीं चल सके।

भारतीय वीजा के लिए आवेदन करते समय उसने कहानी गढ़ी कि वह एक आव्रजन परामर्शदाता है और उसने सभी सूचनाएं गलत दीं ताकि उसकी आड़ बनी रहे। हेडली ने अदालत से कहा, ‘मैंने इस बारे में साजिद मीर और आइएसआइ के मेजर इकबाल से बात की और वे मेरा भारतीय वीजा देखकर खुश थे।’ उसने कहा कि वह आइएसआइ के मेजर इकबाल को जानता है और उससे लाहौर में मिला था जब मेजर अली (आइएसआइ) ने उसका परिचय कराया था।

सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा, ‘हेडली ने गवाही में जो कुछ भी कहा मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूं। अपनी गवाही के दौरान हेडली ने कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं। हेडली ने इस बात की पुष्टि की कि उसने हाफिज सईद से मुलाकात की थी और उसने उसके चित्र को भी पहचाना है।’

उन्होंने कहा, ‘उसने मेजर इकबाल और मेजर अली के बारे में बहुत बातों का खुलासा किया। ये दोनों लोग आइएसआइ में थे। मेजर इकबाल ने उसे प्रशिक्षण दिया था। इसी के साथ उसने अदालत के समक्ष लश्कर ए तैयबा के कुछ और प्रशिक्षकों के नामों का खुलासा किया।’

हेडली के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने स्वीकार किया है कि वह हाफिज सईद के प्रभाव में आकर लश्कर में शामिल हुआ था। इस आतंकी ने बताया कि पाकिस्तान के फाटा इलाके में एक बार उसे गिरफ्तार किया गया था और उस वक्त आइएसआइ के मेजर अब्दुल रहमान पाशा उसके साथ थे। हेडली ने कहा, ‘मैं और पाशा ड्रग तस्कर जेब शाह से मिले थे क्योंकि मुझे लगा था कि यह व्यक्ति (शाह) भारत में हथियारों की तस्करी में हमारी मदद कर सकता है।’

उन्होंने कहा, ‘मुझे अफगान सीमा के निकट लांडीकोटल में गिरफ्तार किया गया था और उसने (मेजर अली) मुझसे पूछताछ की थी। मुझे गिरफ्तार किया गया था क्योंकि मैं विदेशी की तरह दिखता हूं और मेरे पास भारत से संबंधित कुछ साहित्य थे।’ बहरहाल, हेडली को आरोपी नहीं बनाया गया कि क्योंकि उसने अपनी पाकिस्तानी पहचान दिखा दी थी।

उसने अदालत से कहा, ‘मेजर अली ने मेरा परिचय मेजर इकबाल से कराया था क्योंकि उसे लगा कि मैं खुफिया कार्य में इस्तेमाल किया जा सकता हूं।’ हेडली ने कहा कि तहव्वुर हुसैन राणा ने भारत का पांच साल का वीजा दिलाने में उसकी मदद की। पाकिस्तानी सेना के पूर्व फिजीशियन राणा को डेनिश अखबार पर हमले की साजिश के मामले में दोषी ठहराया गया है।

हेडली ने कहा, ‘राणा मुंबई हमलों के बारे में कुछ जानता था। मैंने उसे कहा कि वह भारत नहीं आए। राणा भारत की यात्रा के मेरे मकसद को जानता था।’ उसने अदालत को बताया कि लश्कर ने नवंबर 2008 को अंततः हमला करने के पूर्व भी आतंकवादी हमले करने की दो असफल कोशिशें की थीं। पहली कोशिश सितंबर और दूसरी कोशिश अक्तूबर में की गई थी।

ऐसा बताया जाता है कि हेडली ने वर्ष 2006 और 2008 के बीच कई बार भारत की यात्रा की, नक्शे खींचे, वीडियो फुटेज ली और हमले के लिए ताज होटल, ओबरॉय होटल और नरीमन हाउस समेत विभिन्न ठिकानों की टोह ली थी।

फिलहाल अदालत में मुख्य साजिशकर्ता सैयद जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदाल के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उसके खिलाफ इन आतंकवादी हमलों में उसकी कथित भूमिका को लेकर मामला चल रहा है। हेडली की गवाही से मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के पीछे के षड़यंत्र के बारे में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। इन हमलों में 166 लोगों की मौत हुई थी।

अदालत ने 10 दिसंबर 2015 को हेडली को इस मामले में सरकारी गवाह बनाया था और उसे आठ फरवरी को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा था। उस समय हेडली ने विशेष न्यायाधीश जीए सानप से कहा था कि अगर उसे माफ किया जाता है तो वह ‘गवाही देने को तैयार’ है।

न्यायाधीश सानप ने हेडली को कुछ शर्तों के आधार पर सरकारी गवाह बनाया था और उसे माफी दी थी। मुंबई पुलिस ने पिछले साल आठ अक्तूबर को अदालत के समक्ष याचिका दायर कर कहा था कि हेडली के खिलाफ भी इस मामले में मुंबई हमलों के अहम साजिशकर्ता अबु जुंदाल के साथ इस अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि दोनों इस कायरतापूर्ण हमले के साजिशकर्ता और इसमें मददगार थे ।

मुंबई पुलिस ने याचिका में कहा था कि हेडली के खिलाफ अमेरिकी अदालत के निर्णय से यह स्पष्ट है कि वह लश्कर का सदस्य था और उसने आतंकवादी हमले में आपराधिक षड्यंत्र रचने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचा सकेंगे : केंद्र

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 8 फरवरी। सरकार ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी डेविड हेडली की गवाही से मुंबई पर हुए आतंकी हमला मामले में पाकिस्तान की सरकारी और शासनेतर तत्वों की भूमिका की अस्पष्टता समाप्त होगी और इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सकेगा।

गृह राज्य मंत्री किरण रिजजू ने संवाददाताओं से कहा कि इस बयान के बाद सरकारी और शासनेतर तत्वों के बीच अंतर समाप्त होगा। मंत्री ने कहा कि यह सभी को पता है कि साल 2008 में देश में जघन्य आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश में कौन– कौन शामिल थे, जिसमें 166 लोग मारे गए और 309 लोग घायल हो गए थे।

उन्होंने कहा– यह सभी को ज्ञात है कि इसमें कौन–कौन शामिल थे। हेडली के बयान से इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे हमें मदद मिलेगी। रिजिजू ने कहा कि हेडली के अपनी पृष्ठभूमि और कामकाज के तरीकों के बारे में किए गए ताजा खुलासे से भारतीय जांचकर्ताओं और अभियोजनकर्ताओं को मदद मिलेगी।

तुमको ही याद किया तुमको भुलाने के लिए

पेज 1 का बाकी

की याद दिलाने वाले शब्दकार थे।

निदा के बारे में कहा जाता है कि वे अदब के ऐसे सिपाही थे जो हर तरफ वार करते थे और हर तरह का पैगाम देते थे। ‘नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई उसका हिंदुस्तान’, जैसी बेबाकी उनकी खासियत थी। ‘मैं रोया परदेस में भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार’, ‘बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को, इतना बड़ा मकान,’

घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए.... जैसी रचनाएं निदा के मिजाज को बयां करती हैं। उनके इन शायराना रंगों पर भी गौर करें–‘अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं’, ‘तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान ना था / तुमको ही याद किया तुमको भुलाने के लिए,’ ‘कोई हिंदू कोई मुसलिम कोई ईसाई है / सबने इंसान न बनने की कसम खाई है’, इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देगी / रात जंगल में कोई शम्म जलाने से रही।

इस लोकप्रिय शायर के निधन पर साहित्य जगत के अलावा फिल्मकारों, गायकों, राजनीतिक हस्तियों और ढेरों प्रशंसकों ने गहरी संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ अन्य नेताओं ने फाजली के निधन पर शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, निदा फाजली साहब अब हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन उनकी नज्में हमेशा रहेंगी। लेखन और सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। राहुल के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया, उर्दू के मशहूर शायर और लेखक निदा फाजली जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने ट्वीट किया, ‘आज मशहूर शायर निदा फाजली साहब का इंतकाल हुआ, इस बात का मुझे बहुत दुःख है। अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए यह मेरी दिली दुआ है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके निधन से उर्दू साहित्य ने एक लोकप्रिय शख्सियत को खो दिया। उर्दू उपन्यासकार रहमान अब्बास ने कहा कि फाजली भारतीय साहित्य के चमकते प्रतीक थे। अब्बास ने कहा, वे मेरे बहुत करीब थे और मैंने एक सप्ताह पहले ही उनसे बात की थी।

हिंदी सिनेमा की अनेक हस्तियों ने भी उनके इंतकाल पर अफसोस जताया है। फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा ने लिखा, कोई निदा फाजली का बखान कैसे करे। मैं यही कह सकता हूं कि हमारी दुनिया से एक शायर चला गया। फिल्मकार महेश भट्ट ने लिखा, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फाजली साब खुदा हाफिज।

इंटरनेट डेटा के लिए अलग–अलग शुल्क पर ट्राई ने लगाई रोक

पेज 1 का बाकी

50 लाख रुपए तक हो सकता है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) के चेयरमैन आरएस शर्मा ने उक्त नियमों (डेटा सेवाओं के लिए भेदकारी शुल्क निषेध नियमन,2016) का ब्योरा यहां जारी किया। उन्होंने कहा– कोई भी सेवा प्रदाता डाटा सामग्री (कंटेंट) के आधार पर डेटा सेवाओं के लिए भिन्न शुल्क न तो वसूलेगा और न ही कोई ऐसी पेशकश करेगा।

नए नियम आज से प्रभावी हो गए। नए नियम नेट निरपेक्षता को लेकर लंबे समय से जारी बहस के बीच आए हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक की उसके ‘फ्री बेसिक्स’ प्लेटफार्म के लिए आलोचना हो रही है तो एअरटेल जैसी कंपनियां पूर्व में घोषित अपनी ऐसी ही योजनाओं के लिए नेट निरपेक्षता के समर्थकों के निशाने पर हैं। ट्राई के इस आदेश को फेसबुक के लिए झटका माना जा रहा है जिसकी ‘फ्री बेसिक्स’ शुरू करने की योजना है। फ्री बेसिक्स के तहत चुनिंदा वेबसाइटों के निशुल्क इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है। कंपनी के इस कदम को नेट निरपेक्षता के समान पहुंच अवधारणा के प्रतिकूल बताया जा रहा है।

शर्मा ने कहा– इंटरनेट पर उपलब्ध किसी :सामग्रीः के लिए अलग अलग मूल्य नहीं रखा जा सकता। यही एक बड़ा बिंदु है जिसे हमने नियमन में रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि नये नियमों के हिसाब से उल्लंघनकारी मौजूदा योजनाओं को छह महीने में बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि नए नियमों को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है और ये सोमवार से प्रभावी हो गए।

आंकड़ों में दिखे सुधार के नतीजे

पेज 1 का बाकी

की गिरावट दर्ज की गई थी।

आंकड़ों के अनुसार सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) वृद्धि चालू वित्त वर्ष तीसरी तिमाही में 7.1 फीसद रहने का अनुमान है जो एक साल पहले इसी तिमाही में 6.7 फीसद थी। कृषि क्षेत्र के लिए जीवीए वृद्धि दर में चालू वित्त वर्ष की अक्तूबर–दिसंबर तिमाही के दौरान एक फीसद की गिरावट आई, जबकि इससे पूर्व वर्ष की इसी तिमाही में 2.4 फीसद की गिरावट आई थी।

हालांकि विनिर्माण क्षेत्र के लिए जीवीए वृद्धि दर तीसरी तिमाही 12.6 फीसद रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 1.7 फीसद थी। इसी तरह खनन व उत्खनन क्षेत्र के लिए इस तिमाही में जीवीए वृद्धि 6.5 फीसद रही जो इससे पूर्व वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 9.1 फीसद थी।

बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं की जीवीए वृद्धि दर आलोच्य तिमाही में घट कर 6.0 फीसद रही जो इससे पूर्व वर्ष की इसी तिमाही में 8.8 फीसद थी। निर्माण क्षेत्र की जीवीए वृद्धि 2015–16 की अक्तूबर–दिसंबर तिमाही में 4.0 फीसद रही जो इससे पूर्व वित्त वर्ष 2014–15 की इसी तिमाही में 4.9 फीसद थी।

हालांकि व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से जुड़ी अन्य सेवाओं की जीवीए वृद्धि दर तीसरी तिमाही में 10.1 फीसद रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 6.2 फीसद थी।

वित्तीय, रीयल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं की वृद्धि दर तीसरी तिमाही में 9.9 फीसद रही जो एक वर्ष पूर्व इसी तिमाही में 12.1 फीसद थी। जबकि सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं की वृद्धि दर 2015–16 की तीसरी तिमाही में 7.5 फीसद रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 25.3 फीसद थी।

सीएसओ का अनुमान है कि देश में प्रति व्यक्ति आय 2015–16 में 77431 करोड़ रुपए रहेगी जो 2014–15 में 72889 रुपए थी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 2015–16 में 6.2 फीसद अनुमानित है जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 5.8 फीसद थी।

सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) चालू मूल्य पर 2015–16 में 39.82 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जो 2014–15 में 38.44 लाख करोड़ रुपए था। जीएफसीएफ निवेश का पैमाना है। स्थिर मूल्य (2011–12 आधार वर्ष) पर जीएफसीएफ 2015–16 में 35.88 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जो 2014–15 में 34.08 लाख करोड़ रुपए था। चालू व स्थिर मूल्यों पर जीएफसीएफ इस वित्त वर्ष में जीडीपी के क्रमशः 29.4 फीसद और 31.6 फीसद रहने का अनुमान है। 2014–15 में यह क्रमशः 30.8 फीसद तथा 32.3 फीसद था।